श्री नरेश अग्रवालः एक तो यह हो गया, दो पार्ट और रह गए। एक तो यहां की कार्यवाही की एफ.आई.आर. दर्ज हुई मेरठ में, जबकि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो सकती ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let us take that separately.

श्री नरेश अग्रवालः सर, दूसरा, मेरे घर पर कल जिस तरह भाजपा युवा मोर्चा के लोग गए, ऐलान करके गए और उन्होंने तोड़फोड़ की। जिस तरह मुझको थ्रेट किया जा रहा है, इसका मतलब तो लिंचिंग खुलेआम कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: No, no; we will. ...*(Interruptions)*... One minute, please. ...*(Interruptions)*... नहीं-नहीं, रवि शंकर जी, we will ask for a factual report from the concerned authorities about what the hon. Member is saying.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (Nominated): If you have not taken any decision, what he has said about BJP workers should also be expunged.

MR. CHAIRMAN: Let us settle this. We will ask for a report from the concerned authorities. बैठ जाइए। This matter is over now.

श्री नरेश अग्रवालः बी.जे.पी. युवा मोर्चा कह कर आया ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: We will ask for a report. Nareshji, please sit down. Now let us get on with Question Hour. ...*(Interruptions)*... बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। Dr. Swamy, let me get on with Question Hour, please. We will ask for the report on this subject. Question No. 61.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Performance of Agricultural Schemes

*61. SHRI P. BHATTACHARYA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether despite various ongoing schemes for promotion of agriculture in the country, more than 50 per cent farmers are living below the poverty line;

(b) if so, whether Government has made any study to assess the performance of each of these schemes during the last three years;

(c) if so, the outcome of such study; and

(d) whether Government proposes to reform such schemes, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the erstwhile Planning Commission's estimates based on Nation Sample Survey Office (NSSO) Survey, in 2011-12 the rural population living below poverty line (BPL) was 25.7 percent, including both farm and non-farm rural population. Separate estimate on the number of farmers living Below Poverty Line is not available.

(b) to (d) The major schemes have been evaluated during the last three years. Moreover, the schemes are also regularly monitored and evaluated, and have been revamped on the basis of the feedback.

The outcomes of performance evaluation of the major schemes are as follows:

(i) Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH): Gross value of Output (GVO) has increased by about 70% during the period of implementation of the programme.

(ii) National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA): The Scheme was found highly relevant for the development of Rainfed areas in a sustainable manner; and helped the farmers in maximizing the farm returns; mitigating the impacts of drought, flood, and minimizing risks of crop failure; impacted increase of income by 39%.

(iii) Interest Subvention Scheme: The scheme had positive impacts on the rate of growth of ground level credit to agriculture and increase in use of crucial inputs; and helped increase yield and production of major crops.

(iv) Soil Health Card (SHC): The card provides information on fertility status of soil and a soil test based advisory on use of fertilizers. Application of fertilizer and micronutrients based on Soil health Card Recommendations resulted in 8-10 % of fertilizer savings. Besides, overall increase in the yield of crops to the tune of 5-6 %.

(v) National Food Security Mission (NFSM Crops and Pulses): The mission has helped in widening the food basket in the country with sizeable contribution

coming from the NFSM Districts. The focused and target oriented implementation of mission initiatives has resulted in bumper production of rice, wheat and pulses.

(vi) Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY): Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) has resulted into higher agricultural GDP; increase in Gross Capital Formation; better implementation due to performance-linked eligibility for funds; fund use flexibility across time and states. The suggestions for improvement were related to ensuring inter-state allocation by using up-dated data; replacing certain fund eligibility parameters by state level performance related indicators, focus on end-to-end projects while planning; and initiating innovative projects without duplication.

(vii) Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY): Per Drop More Crop mainly focuses on water use efficiency at farm level through precision/micro irrigation (Drip and Sprikler Irrigation). An impact evaluation study for Micro Irrigation, a component of PMKSY, carried out in the year 2014, indicated overall income enhancement of the beneficiaries in the range of 20% to 68% with average of 48.5%.

(viii) Venture Capital Assistance and Equity Grant & Credit Guarantee Fund: Evaluation of the sub scheme of Integrated Scheme of Agricultural Marketing (ISAM) shows that it has incentivized the agri-entrepreneurs to bring in more equity and set up agri-business units. It also strengthened the backward linkages and achieved efficiency in the agriculture value chain.

(ix) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): The scheme is an outcome of elaborate restructuring and subsuming National Agricultural Insurance Scheme and other components of National Agricultural Insurance Programmes on the basis of implementational experience. Larger coverage of beneficiaries and crops with minimum premium are the important features of the restructured scheme.

SHRI P. BHATTACHARYA: A new study has revealed that every third farmer, about 36.26 per cent, in the State is living below the poverty line. Sir, my first question to the hon. Minister is, what is the Government's action to improve the conditions of the poor people who are living below the poverty line, how to increase the financial

condition of the people in the rural areas, particularly, the farmers? What is the action the Government proposes to do?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, माननीय सदस्य का सवाल जो 50 प्रतिशत किसान गरीबी रेखा से नीचे हैं, इससे संबंधित है। इसका अध्ययन 2011-12 में हुआ था और उसकी रिपोर्ट के अनुसार 25.7 प्रतिशत कृषि और गैर-कृषि ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। इसके बाद हमने 2014 से लेकर 2017 तक आठ योजनाओं का बाहरी संस्थानों से अध्ययन कराया और जो उनकी रिपोर्ट आई, हमने उसको लागू किया। हमने राज्यों से inputs लेकर, मंत्रालय के अंदर पहले से जितनी भी योजनाएं चल रहीं थी, उनका अध्ययन किया और फिर नई योजनाओं का निर्माण किया। इसके साथ ही हमने पुरानी योजनाओं में भी सुधार किया और अध्ययन के बाद जितनी भी रिपोर्ट्स आईं, उन सबको भी लागू किया।

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, he is not replying properly to my question.

MR. CHAIRMAN: No, no. Please, listen to this. You will get another opportunity. Listen to this. Don't interrupt the reply.

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, what hon. Minister says is wrong.

MR. CHAIRMAN: No, no. Please. You put your second supplementary. Second supplementary, please.

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, before I ask my second supplementary, the most important thing is that the reply given by the hon. Minister, either intentionally or misled by the officials, is not correct. This is number one.

Secondly, in our country, rich-poor divide widens as Indian economy grows. Is it correct? If it is so, what action the Government proposes to take?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, हमने जो अध्ययन कराया, इसको प्रश्न के उत्तर में ले लिया है कि जैसे "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" है, इसका 2012-13 से 2016-17 तक क्रियान्वयन हुआ था, तो उसका अध्ययन करने के बाद योजना का निर्माण किया। इसी तरह से "राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन" का भी अध्ययन 2017-18 में कराया और जो गरीब किसान हैं - इन सभी योजनाओं की जो अलग-अलग रिपोर्ट्स आई हैं, वे सभी हमारे पास हैं और उसके बाद हमने कुछ नई योजनाओं का निर्माण किया। जो हमारी कृषि उद्यमी हैं, उनके लिए SFAC का गठन हमारी सरकार के आने से पहले ही हुआ था, लेकिन अध्ययन में यह बताया गया कि इसका बहुत बड़ा लाभ है, तो उसका आबंटन बढ़ाया। छोटे-छोटे गांवों में जो उद्यमी हैं, सात वर्ष तक उनसे कोई इन्टरेस्ट नहीं लिया जाएगा और सात वर्ष के बाद वे उस कैपिटल को जमा करेंगे।

इसी प्रकार से "सतत कृषि विकास मिशन" में सुझाव आए कि किसानों के खेत में भी पेड़ लगने चाहिए। हमने इसके लिए "राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना।" शुरू की। पहले सरकारी जमीन में पेड़

लगाने के लिए राज्यों को वन विभाग के माध्यम से पैसे जाते थे। यह नई योजना पिछले वर्ष शुरू हुई और राज्यों से कहा गया कि आप कानून बदलिए, 20 प्रजातियों की लकड़ियों को काटने की किसानों को अनुमति दो और पूर्व गवर्नमेंट में भी जो नियम थे, जिनके तहत पुलिस पकड़ती थी, वर्ष 2016-17 के दौरान 8 राज्यों ने कानून में परिवतन किया और पिछले वर्ष से ही 8 राज्यों में मेड़ पर पेड़, खेत में पेड़ लगाने की योजना शुरू हुई। इस वर्ष भी 5 राज्यों ने इस योजना को शुरू किया है।

इसी तरह से हमने कृषि बाजार का अध्ययन कराया था। स्वामीनाथन जी का यह कहना था कि कम से कम 80 वर्ग किलोमीटर के अंदर एक मार्केट होनी चाहिए, लेकिन देश में यह स्थिति है कि अभी औसत 580 वर्ग किलोमीटर के अंदर एक मार्केट है। एक तो 585 बड़ी मंड़ियों को ही मार्केट से जोड़ने का काम किया और दूसरी ओर इसी वर्ष दो महीने पहले राज्यों के साथ दो-तीन महीने तक चर्चा करने के बाद नए कृषि मंडी अधिनियम को जारी किया। मुझे खुशी है कि दो-तीन महीने के अंदर ही राज्यों ने अपने नियमों में परिवर्तन शुरू किया है। इसी प्रकार से सॉयल हेल्थ कार्ड और अन्य कई ऐसी योजनाएँ, जिनमें छोटे किसानों की लागत कम हो, वे भी हैं। इसी प्रकार से बहुत पहले एक अध्ययन हुआ था, 2003-2005 के बीच में कृषि वैज्ञानिकों ने neem coated urea - जहाँ छोटे किसान यूरिया के लिए परेशान रहते थे, मैं भी जब 1989 में लोक सभा में आया था, तो मैंने पहली डिमांड यह की थी कि मेरे क्षेत्र में यूरिया भेजिए, राइट भेजिए - हमारे पास 2003 से 2005 के बीच की रिपोर्ट पड़ी हुई थी, उस रिपोर्ट को भी सरकार बनने के बाद, डेढ़ वर्ष के अंदर लागू किया गया। आज गाँव में जो छोटे किसान हैं, उनको बहुत आसानी से यूरिया उपलब्ध होता है, यूरिया का दुरुपयोग भी समाप्त हो गया है। हमने तमाम ऐसी योजनाओं का अध्ययन कराया है, नई योजनाओं का निर्माण किया है और कई पुरानी योजनाएँ, जो बहुत अच्छी योजनाएँ थीं, उनकी गति को भी तेज किया है।

श्री रेवती रमन सिंहः सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने यह बताया है कि आपकी ये-ये योजनाएं हैं, क्या आप गाँव के किसानों का सर्वे कराएंगे कि कितने सीमांत किसान गरीबी रेखा से नीचे हैं?

सभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न है। आपने कहा कि हमने ये-ये स्कीम्स दी हैं, यूरिया उपलब्ध करा दिया है, तमाम मिशन्स के तहत जो किया है, वह भी आपको बताया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन भी किया है, वह आज आत्महत्या क्यों कर रहा है? आप आपने अरहर की दाल को इतने सस्ते दाम पर विदेश से मंगवा लिया है। सरसों के दाम इतने गिर गए हैं कि अब दलहन, तिलहन क्यों बोया जाए? आलू खेतों में सड़ गया है। आपने आलू के लिए क्या किया है? किसान आज 2 रुपए किलो टमाटर बेचता है, जबकि दिल्ली में टमाटर 80 रुपए किलो है।

सभापति जी, इनकी नीतियां किसान विरोधी हैं। आप सिर्फ कागज पर किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप धरातल पर देखें, तो पाएंगे कि आपका एक भी काम किसानों के ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए।

श्री रेवती रमन सिंहः सभापति जी, ये कह रहे हैं कि ये 2022 तक इनकम डबल कर देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये इनकम डबल कैसे करेंगे?

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति जी, माननीय सदस्य ने अच्छा विषय उठाया है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि किसान वास्तव में समस्याओं से ग्रस्त है। उत्पादन बढ़े - आपने आलू के उत्पादन की चर्चा की, आलू का उत्पादन ज्यादा हुआ, तो उत्पादन बढ़ा, जैसे 2015-16 का जो उत्पादन है, उसमें 8 फीसदी की वृद्धि हुई है, सरकार की जो योजना पहले से चल रही थी, वह योजना मैंने नहीं शुरू की, वह योजना पहले से थी कि बाजार में हस्तक्षेप करें। जिन जिंसों का समर्थन मूल्य नहीं है, उनके लिए यदि उत्पादन 10 प्रतिशत ज्यादा और कीमत 10 प्रतिशत कम हो, तो राज्य सरकार प्रस्ताव बनाएगी, भारत सरकार को देगी और बाजार हस्तक्षेप होगा। उसमें जो डिफरेंस होगा, उसका आधा राज्य सरकार देगी और आधा भारत सरकार देगी। हमने इसमें परिवर्तन किया है। जो दस प्रतिशत खरीदने की बात थी, हमने उसको बीस प्रतिशत किया है। हमने कहा कि नहीं, इसको बीस प्रतिशत खरीदा जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले इस योजना का लाभ कम राज्य उठाते थे, लेकिन अब वे तेज हुए हैं। जब किसान जगा है, तो राज्य सरकारें भी तेज हुई हैं। यह जो "बाजार हस्तक्षेप योजना" है, इसके तहत हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले, पहली बार उत्तर प्रदेश ने आलू खरीदने का प्रस्ताव भेजा और हमने चौबीस घंटे के अंदर उसको मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः कहाँ खरीदा गया? खरीदा नहीं गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः बैठ जाइए, बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... आप सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... Please you have had your question, Mr. Bhattacharya. *...(Interruptions)...*

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष, 2016-2017 के अंदर जो आलू की खरीद हुई है, उसके जो आंकड़े आए हैं, मैं वे आंकड़े आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि "बाजार हस्तक्षेप योजना" के तहत आलू की खरीद हुई है। मैं बता रहा था कि यह जो "बाजार हस्तक्षेप योजना" है, इसके तहत कई राज्यों ने लाभ उठाया है। यह बात सही है कि वे पहले इसका बहुत लाभ नहीं उठा पाते थे, क्योंकि पहले किसानों के बीच जागरूकता नहीं थी, दबाव भी नहीं पड़ता था, लेकिन दबाज के कारण बहुत सारी राज्य सरकारों ने इस योजना का लाभ उठाया है। जिनका समर्थन मूल्य है, धान और गेहूँ की खरीददारी, हमारा जो खाद्य मंत्रालय है, वह करता है। लेकिन सन् 2014-15 में पहली बार दाल की खरीददारी के लिए मूल्य स्थिरीकरण फंड बना। माननीय सभापति जी, इस देश में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार मूल्य स्थिरीकरण फंड बना और फूड एंड सिविल सप्लाइज़ के माध्यम से पहली बार बड़ी मात्रा में यह खरीद की गई है। ...(**व्यवधान**)...

Mr. CHAIRMAN: Please sit down.

श्री राधा मोहन सिंहः प्लीज़ माननीय सदस्य सुनें। इसके अलावा भी जिनका समर्थन मूल्य है और फूड एंड सप्लाइज़ मिनिस्ट्री नहीं खरीदती है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: All right. Let me go to the next question. *...(Interruptions)...*

श्री राधा मोहन सिंहः सर, हमें उस प्रश्न का उत्तर देने दीजिए, जो प्रश्न उन्होंने उठाया है। एक

तो जिनका समर्थन मूल्य नहीं है, उसके लिए "बाजार हस्तक्षेप योजना" है, दूसरा जिनका समर्थन मूल्य है और फूड एंड सिविल सप्लाइज़ मिनिस्ट्री ...(**व्यवधान**)...

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: What about tomato?

श्री सभापतिः प्लीज़ बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please don't interrupt.

श्री राधा मोहन सिंहः उसके लिए "मूल्य समर्थन योजना" है और मूल्य समर्थन योजना के तहत, हम माननीय सदस्य को बताना चाहेंगे कि इसके तहत भी बड़े पैमाने पर उन राज्यों में खरीद हुई हैं जिन राज्यों से प्रस्ताव आए हैं। यह योजना पुरानी है, लेकिन इस योजना की रफ्तार बढ़ी है। उसकी भी गाइडलाइन्स थीं कि हम उत्पादन का 20 प्रतिशत करें, उसको बढ़ा कर हमने 40 प्रतिशत किया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री अनुभव मोहंतीः सर, सवाल का जवाब नहीं दिया है, जो पूछा गया था। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. *...(Interruptions)...* One minute, please. *...(Interruptions)...* I have something to say. Nareshji, please sit down. I think the Question Hour will be the most productive if both the questions and the answers are short and crisp. Now, let me go to the next question. *...(Interruptions)...* It is not your question. *...(Interruptions)...* Please sit down.

श्री तपन कुमार सेनः चेयरमैन सर, मंत्री जी ने नौ प्वाइंट्स योजना को गिनाया और 2011-12 की फिगर्स दीं। ये 2011-12 की above the poverty level की फिगर्स दीं और उसके बाद नौ प्वॉइंट्स योजना गिनीं। What is the fate of this Yojana? क्या यह मंत्री जी को मालूम हैं?

MR. CHAIRMAN: Put your question, please.

श्री तपन कुमार सेनः सर, वही क्वेश्चन है। Interest subvention के बाद बोल रहे हैं, about two-thirds of the farmers are out of the institutional credit. आपका interest subvention कौन सा काम आएगा? Fasal Bima Yojana has become a squeezing machine. Your own Ministry's Report says, " Rs.21,500 crore premium collected last year and only Rs.714 crores disbursed against insurance claims, which is only 3.3 per cent." Your Fasal Bima Yojana has become a squeezing instrument.

MR. CHAIRMAN: Tapanji, please put your question.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Therefore, are you going to restructure your schemes in such a way that they, in real terms, benefit farmers? Stop the stream of suicides. About 21,500 peasants have committed suicides, all that in your own ruled States.

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, माननीय सदस्य ने संस्थागत ऋण की बात की है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 में जो ऋण प्रवाह था, वह छह लाख करोड़ रुपए का था, उसको 2017-18 में बढ़ा कर दस लाख करोड़ रुपए किया गया है। जो ब्याज सहायता सात हजार करोड़ रुपए की थी, उसको बढ़ा कर बीस हजार करोड़ रुपए किया गया है।

श्री तपन कुमर सेनः मंत्री जी, आप हमारी बात बोलिए। ...**(व्यवधान)**... How many farmers are covered? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Tapan Sen, please listen to the reply.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Even as per Dr. Swaminathan's report, it is all urban-oriented and not reaching the farmers.

श्री राधा मोहन सिंहः सर, तीसरी जानकारी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को देना चाहूंगा कि देश में 2007 मे एक जॉइंट लाइअबिलिटी ग्रुप बना, यानी जिनके पास बहुत कम जमीन है या भूमिहीन हैं, ऐसे किसानों का जॉइंट लाइअबिटिलटी ग्रुप बना कर, जिसमें चार से दस किसानों के ग्रुप को ऋण देने की व्यवस्था थी, तो 2007 से 2014 तक ऐसे छह लाख समूह बनाए गए थे। मैं आपको बताऊँ कि इन तीन वर्षों के अंदर इस प्रकार के सोलह लाख समूह बनाए गए हैं, उनको ऋण मुहैया कराया गया है। अगर आपको संख्या चाहिए, तो वह भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री तपन कुमार सेनः संख्या बताइए।

श्री राधा मोहन सिंहः मैं उपलब्ध करा दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: He will make the information available.

श्री राधा मोहन सिंहः दूसरा, माननीय सदस्य ने अच्छा किया कि उन्होंने फसल बीमा योजना की चर्चा की। जब हम सरकार में आए थे, तो उस समय यह फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना थी कि सभी मुख्यमंत्रियों ने, चाहे किसी भी दल का शासन हो, सबने कहा कि हम यह योजना नहीं चला पाएंगे और किसानों की ओर से भी उसका विरोध था, क्योंकि उसमें capping थी कि यदि हम किसान की एक हेक्टेयर में 50 हजार रुपए की लागत है, तो उसको 18 हजार-20 हजार रुपए मिलेंगे, क्योंकि इससे राज्य के खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ेगा और उसमें premium भी ज्यादा था। नई 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' के लिए 6 महीने तक सभी राज्यों के अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में और उनके राज्य में जाकर बैठक हुई। जब नई 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' आई, तो पहले जो किसानों को premium ज्यादा देना पड़ता था, उसको इसमें कम किया गया। पहले अलग-अलग जिले में अलग-अलग premium rate था, उसको पूरे देश में हर जिले के लिए एक प्रकार का किया गया और इसमें risk बढ़ाया गया कि कोई capping नहीं होगी। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, Rs. 21,500 crores was the premius and settlement was only Rs.714 crores. ...*(Interruptions)*...

श्री राधा मोहन सिंहः उनका जो सवाल है, मैं उस पर आ रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. We have taken fifteen minutes on one question. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

श्री राधा मोहन सिंहः उनका जो सवाल है कि कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं, मैं उनके सवाल पर आ रहा हूँ।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let me call the next questioner.

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, यह बीमा है। उनके ध्यान में आना चाहिए कि 2011-2012 और 2012-13 में जब कृषि अनुकूल वर्ष था, तो जितना premium जमा हुआ, उसका 63 प्रतिशत भुगतान हुआ और 2014-15 और 2015-16 में जब मौसम विपरीत था, तो 100 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान हुआ। अभी जो बीमा शुरू हुआ है, इसमें risk बढ़ा है। इसमें premium बढ़ा है, लेकिन किसान पर बोझ कम है और राज्य के खज़ाने पर बोझ पड़ रहा है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री राधा मोहन सिंहः एक मिनट, सर। इससे राज्य के खज़ाने पर बोझ पड़ रहा है और इसलिए ...(**व्यवधान**)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: What have the farmers gained? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

श्री राधा मोहन सिंहः उनको यह उत्तर तो सुनना ही चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: All right. Now, let me go to the next questioner. We are taking too much time. ...*(Interruptions)*... Please don't do it. ...*(Interruptions)*...

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, कई राज्य सरकारें बीमा कंपनी बनाने जा रही हैं। ...(**व्यवधान**)... हरियाणा और गुजरात ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसमें किसानों को बहुत relief है। यह सुरक्षा कवच है। चूँकि इससे राज्य के खज़ाने पर बोझ पड़ रहा है, इसलिए गुजरात और हरियाणा ने अपनी कंपनी बनाने के लिए तय किया है। हमने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि आप भी अपनी कंपनी बनाइए, क्योंकि यह किसानों का सुरक्षा कवच है, इसे सब लोग स्वीकार करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Dr. Narendra Jadav. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: But what are the farmers gaining? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, please.

DR. NARENDRA JADHAV: Thank you, Mr. Chairman, Sir.

The Government has accepted before the Supreme Court that only 40 per cent of the farmers have benefitted from agricultural schemes. In this regard, what action, if any, has been taken to expedite the coverage of agricultural schemes, especially, the *Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana,* where, as the Supreme Court has noted, the coverage is not more than 20 per cent?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, फसल बीमा योजना का जो coverage था, वह 20 प्रतिशत था, लेकिन पिछले वर्ष जो नई योजना शुरू की गई, उसमें वह 30 प्रतिशत पर गया है। पहले गैर-ऋणी किसान बीमा नहीं कराते थे। चूँकि इसमें सुरक्षा और risk coverage बहुत ज्यादा नहीं था, तो जो ऋण लेते थे, बैंक उन्हीं का premium काट लेता था। गैर-ऋणी किसानों का इसमें आकर्षण नहीं था। लेकिन जब नई 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' शुरू हुई, तो पिछली खरीफ की फसल में 75 लाख गैर-ऋणी किसानों ने फसल बीमा कराया, जबकि उसके पहले पुरानी योजना में मात्र 15 लाख गैर-ऋणी किसानों ने फसल बीमा कराया था। इस प्रकार इसका coverage 20 से 30 प्रतिशत हुआ है। सभी मुख्यमंत्रियों से मेरी बात हुई है कि इस वर्ष इसको बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाए।

Appointment of women judicial officers

*62. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has promised to increase reservation for women in the judiciary; and

(b) if so, how far has this promise been accomplished and how many women judicial officers have been appointed in the last three years ending 31st May, 2017 along with the list thereof?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Appointment of Judges of the Supreme Court and High Court is made under Articles 124 and 217 of the Constitution of India respectively. These Articles do not provide for reservation for any caste or class of persons. Therefore, no caste or class wise data of Judges is maintained. The Government has, however, requested the Chief Justices of the High Courts that while sending proposals for appointment of Judges, due consideration be given to suitable candidates belonging to other Backward Classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities and from amongst women.